

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खैरवाड़ा
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान जामता.....

:-आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी जामता व भू.अ.नि.
कलक्टर की रिपोर्ट तथा उप तहसीलदार सोलासर की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खुजवाड़ा तहसील नयागांव जिला
3946C की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में खाता संख्या 78 में वर्तमान में दर्ज
प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<u>खुजवाड़ा</u>	<u>78</u>	<u>रामा कुमारी सोमा</u>	<u>रामू कुमारी सोमा जी</u>

(3)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, खैरवाड़ा

क्रमांक :- 2314

दिनांक :- 23/12/21

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, नयागांव को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री रामू कुमारी सोमा जी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रायली।

(3)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, खैरवाड़ा

सेवामे,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

खैरवाड़ा..... जिला उदयपुर।

प्रार्थी - रामू पुत्र सोमा जी

विषय - राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज दुरुस्ती करने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत मुझ प्रार्थी का निम्न प्रकार निवेदन है:-

1. कि ग्राम खैरवाड़ा..... की जमाबन्दी संवत् २०१५-१६..... की खाता संख्या १८.....
आराजी किता रकबा भूमि के खाते मे मुझ प्रार्थी का नाम.....
रामा पुत्र सोमा..... दर्ज है।
2. कि मेरा सही नाम रामू पुत्र सोमा जी..... है, एवं मेरी शैक्षणिक योग्यता, मतदाता फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड एवं अन्य समस्त सरकारी दस्तावेजो मे भी मेरा सही नाम रामू पुत्र सोमा जी..... ही दर्ज है।
3. कि मेरा नाम खाते मे दर्ज करते समय गांव मे मुहबोला नाम रामा/सोमा होने से उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे गलत दर्ज हो गया। खाते मे नाम वास्तव मे मेरे सही नाम का विकृत/अपभ्रष है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत मेरा सही नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कराने की कृपा करावे।

भवदीय

रामा

आवेदक/खातेदार

रिपोर्ट पटवारी जायरा तहसील जयपाव जिला उदयपुर

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्य सही है। ग्राम खुबवादी की खाता संख्या 78 मे प्रार्थी का नाम रामा कुमारी दर्ज है, जबकि प्रार्थी के नाम सरकारी दस्तावेजो मे सही नाम रामा कुमारी दर्ज है। खाते मे दर्ज नाम प्रार्थी के नाम का विकृत रूप/अपभ्रंश है। अतः ग्राम खुबवादी की खाता संख्या 78 मे दर्ज नाम रामा कुमारी के बजाय सही इन्द्राज रामा कुमारी दर्ज किया जाना उचित है।

भू अभिलेख निरीक्षक

पटवारी
23/12/2021

कार्यालय तहसीलदार जयपाव जिला उदयपुर

भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार ग्राम खुबवादी की जमाबन्दी की खाता संख्या 78 मे दर्ज नाम रामा कुमारी के बजाय सही नाम रामा कुमारी दर्ज किया जाना उचित है।

तहसीलदार जयपाव
जिला-उदयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खुबवादी जिला उदयपुर

क्रमांक/

दिनांक 23.12.21

::आदेशः

प्रार्थी के प्रार्थना एवं तहसीलदार जयपाव की रिपोर्ट एवं सलग्न दस्तावेजो के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम खुबवादी की जमाबन्दी की खाता संख्या 78 मे दर्ज नाम/इन्द्राज रामा कुमारी के बजाय सही नाम/इन्द्राज रामा कुमारी दर्ज करने की स्वीकृती प्रदान की जाती है। तहसीलदार जयपाव आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद कर पालना करे।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
खुबवादी जि. उदयपुर